

परिशिष्ट-2

विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यावेदन का प्ररूप

क्रमांक वर्ष

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

प्रति

विद्युत लोकपाल

.....

(विद्युत लोकपाल का पता)

विषय:- (वितरण केन्द्र तथा

अनुज्ञप्तिधारी का नाम) के विरुद्ध शिकायत।

असन्तुष्ट उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता जिसका नाम नीचे दर्शाया गया है, एतद् द्वारा लोकपाल के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है। शिकायत के विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता का नाम :
2. उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता परिसर जिस हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा रहा है का पूरा पता :
पिन कोड :
- दूरभाष क्रमांक/ई-मेल ID/फैक्स क्रमांक :
3. वितरण केन्द्र तथा अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पूरा पता पिन कोड, दूरभाष क्रमांक/फैक्स क्रमांक :
4. संयोजन का विवरण तथा उपभोक्ता का लेखा क्रमांक :
(कृपया संयोजन का प्रकार दर्शायें)
5. उपभोक्ता द्वारा फोरम को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि :
..... (कृपया अभ्यावेदन की तीन प्रतियां संलग्न करें)
6. क्या मप्रविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के विनियम 3.38 के प्रावधानों के अधीन 50% राशि का भुगतान कर दिया गया है ? (कृपया पुष्टि हेतु रसीद/देयक की प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. फोरम द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति तिथि

8. शिकायतकर्ता द्वारा फोरम के आदेश की प्राप्ति तथा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे इस अभ्यावेदन के मध्य दिनों की संख्या
9. अभ्यावेदन की विषय-वस्तु
10. अभ्यावेदन का विवरण (यदि विवरण प्रस्तुति हेतु स्थान कम हो तो विवरण पृथक पृष्ठ पर दर्शायें) :
11. क्या उपभोक्ता द्वारा फोरम का निर्णय प्राप्त कर लिया गया है ?
यदि हां तो फोरम के आदेश की 'तीन प्रतियां' संलग्न करें जिसके अन्तर्गत अन्तिम निर्णय प्रसारित किया गया है)
12. विद्युत लोकपाल से अपेक्षित राहत का स्वरूप
13. उपभोक्ता द्वारा दावा की गई आर्थिक हानि का प्रकार/स्वरूप एवं तत्संबंधी राशि, यदि कोई हो जो क्षतिपूर्ति के बतौर चाही गई है, रुपये (कृपया यह दर्शाये जाने हेतु कि इस प्रकार हुई हानि, वितरण अनुज्ञापतिधारी की किसी कथित क्रिया, कृत अथवा अकृत, चूक के परिणामस्वरूप हुआ है बाबत लिखित प्रमाण, यदि कोई हों तो संलग्न करें)
14. संलग्न अभिलेखों की सूची (कृपया समस्त अभिलेखों की 'तीन प्रतियां' संलग्न करें)
.....
15. घोषणा :
(क) मैं/हम निम्न उपभोक्ता/उपभोक्तागण एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
(1) उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य एवं सही है ; तथा
(2) मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त कॉलमों में तथा एतद् द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों किसी तथ्य को न तो छुपाया गया है अथवा न ही किसी प्रकार से अनुचित अभ्यावेदित किया गया है।
(ख) मेरे/हमारे पास पूर्ण विश्वसनीय उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेरे/हमारे अभ्यावेदन की विषय-वस्तु को मेरे द्वारा अथवा हम में से किसी के द्वारा अथवा विषय वस्तु से संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा इससे पूर्व विद्युत लोकपाल कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- (ग) मेरे/हमारे अभ्यावेदन से संबंधित विषय-वस्तु का विद्युत लोकपाल कार्यालय के द्वारा किन्हीं पूर्व कार्रवाइयों के माध्यम से निपटान नहीं किया गया है।
- (घ) प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय-वस्तु का किसी प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ द्वारा निर्णय नहीं किया गया है।

अथवा

प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय-वस्तु दिनांक से
(कृपया प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ जिसके समक्ष प्रकरण लंबित है के नाम के उल्लेख करें) के समक्ष लंबित है, तथा कार्रवाइयों संबंधी अन्तिम न्यायालयीन निर्णय होने में समय लगने की संभावना है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(उपभोक्ता का पूरा नाम)

नामांकन : यदि उपभोक्ता उसके प्रतिनिधि को उसकी ओर से फोरम के समक्ष प्रस्तुत होने तथा प्रस्तुतिकरण करने हेतु नामांकित करना चाहे तो निम्न घोषणा प्रस्तुत करनी होगी:-

मैं/हम, जो उपरोक्त कथित उपभोक्ता/उपभोक्तागण हूं/हैं, एतद् द्वारा श्री/श्रीमतीजिसका पता है, को मेरा/हमारा प्रतिनिधि नामांकित करता/करती/करते हूं/हैं तथा उसके/उनके द्वारा प्रस्तुत कोई अभिकथन, स्वीकारोक्ति अथवा अस्वीकारोक्ति मेरे/हम पर बंधनकारी हागा/होगी। श्री/श्रीमती (नाम) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया :

स्वीकार किया गया

(प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

(उपभोक्ता के हस्ताक्षर)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट : शपथ-पत्र लगाया जाना आवश्यक नहीं है।